न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **10/23 (अपील)**

GCMS No. : 2023/397

अनवान्

1. श्री मोहनलाल पिता भगवानलाल जी जाट आयु वयस्क निवासी मावली, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री माधवलाल पिता भगवानलाल जी जाट आयु वयस्क निवासी मावली, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री हमेरा पिता गणेश जी जाट आयु वयस्क निवासी मावली, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०) मृतक के बजाय :—

3/1 श्री मोहनलाल पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3/2 श्री बंशीलाल पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3/3 श्री रतनलाल पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3/4 श्री वरदीचन्द पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3/5 मांगीबाई पत्नी हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।

.............अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री छोगालाल पिता कना जाट आयु वयस्क निवासी मावली, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती वदामी पुत्री कना पत्नी भेरूलाल जी जाट आयु वयस्क निवासी नाहरमगरा, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती वरदी (पिता कना) पत्नी लक्ष्मण जाट आयु वयस्क निवासी खेड़ा भानसोल, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती तुलसीबाई (पिता कना) पत्नी गोकल जी जाट आयु वयस्क निवासी खेड़ा 4 भानसोल, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०)
5. श्री भंवरलाल पिता चतरभुज जाट आयु वयस्क निवासी मावली, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०)
6. श्री हीरालाल पिता कना जाट आयु वयस्क निवासी मावली, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०)
7. श्री राकेशकुमार पिता भुपालसिंह दलाल आयु वयस्क निवासी 38, विवेक पार्क के पास, हिरणमंगरी, सेक्टर नम्बर ३, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
8. श्री करणकुमार पिता रतनलाल माली आयु वयस्क निवासी 838/15, माधव कॉलोनी, कालका माता मन्दिर पहाड़ा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)

......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित—1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता रेस्पाडेण्ट संख्या 7, 8 ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. मावली, बाबत ना. सं. 4689 दि. 20.02.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:01 IST
Reason: SelfAttested

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 28.05.2025

1. अपीलाण्ट्स द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मावली के नामान्तरण संख्या 4689 में वर्णित आराजी नम्बर 1530, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540 कुल किता 06 कुल रकबा 1.6834 हैक्टेयर भूमि व आराजी नम्बर 1538 रकबा 0.4452 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) मावली में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद अपीलान्टस् ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 व अन्य सहखातेदरों के विरूद्ध दिनांक 29.06.2017 को प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नम्बर 161/2017 वाद होकर आज भी विचाराधीन हैं। उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का भी प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नम्बर 97/2017 प्रार्थना पत्र होकर उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2023 को दोनों पक्षों की बहस सुनकर नामान्तरण संख्या 4689 ग्राम मावली में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् जारी की गई थी जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्टस् को थी।
2. न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) मावली में विचाराधीन घोषणा व निषेधाज्ञा के प्रकरण में दिनांक 24.01.2023 को दोनों पक्षों को सुनकर रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी उसके बाद दिनांक 07.02.2023 को उक्त प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा आराजी नम्बर 1538, 1530, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540 से अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा हटाते हुए अन्य आराजीयात पर स्थगन पूर्व आदेशानुसार जारी रहने का आदेश दिनांक 07.02.2023 को पारित किया गया था। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2023 से स्थगन आदेश हटाने के आदेश के विरूद्ध अपीलान्टस् ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 6/2023 थे तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 25.07.2023 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली के आदेश दिनांक 07.02.2023 को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई करने हेतु प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली को प्रतिप्रेषित किया जो आज भी प्रभावी हैं इस तरह न्यायालय में पक्षकारों के मध्य घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन था तथा स्थगन आदेश जारी होते हुए नुमाईशी विक्रय पत्र से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपना गलत हिस्सा बताते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 को नुमाईशी विक्रय पत्र से विक्रय कर दी तथा नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार वाद के विचाराधीन व स्थगन आदेश [illegible] होते हुए कथित नामान्तरण खोलकर स्वीकृत किया गया हैं जो कानून [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:01 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि कानूनन जहां पक्षकारों के मध्य घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन हो वंहा नामान्तरण जैसी समरी कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय में विचाराधीन घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन होते हुए कथित नामान्तरण स्वीकृत किया हैं जो कानून व विधि के विपरीत होकर काबिल निरस्त होने योग्य हैं। न्यायालय में विचाराधीन वाद की जानकारी रेस्पोडेन्टस् को भलीभांति थी व उक्त वाद में राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पक्षकार थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर कथित नामान्तरण को खोलकर स्वीकृत करने में भारी भूल की हैं।

4. यह कि कथित नामान्तरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.02.2023 को खोला गया व उसी दिन अर्थात् दिनांक 20.02.2023 को ही भू अभिलेख निरीक्षक की जांच करवाकर दिनांक 20.02.2023 को ही कथित नामान्तरण स्वीकार कर लिया गया, इस तरह एक ही दिन में पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट की मिलीभगत से एक ही दिन में नामान्तरण खोलकर भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट करवा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन कथित नामान्तरण बिना जांच किये आनन फानन में स्वीकार किया गया हैं जो काबिल निरस्त होने योग्य हैं, एक ही दिन में नामान्तरण खोलने से लगाकर स्वीकृत करने की सारी प्रक्रिया की गई हैं जो जांच का विषय हैं ऐसी अवस्था में कथित नामान्तरण निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपना गलत हिस्सा बताते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र लिख नुमाईशी विक्रय पत्र में कब्जा सिपुर्द करने की बात लिखी गई हैं जो गलत हैं। क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने जो हिस्सा बताया हैं उस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 का कब्जा ही नहीं हैं तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 को कब्जा सिपुर्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं आज भी कब्जा अपीलान्टस् के हिस्से पर अपीलान्टस् का हैं व अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जांच किये ही कथित नामान्तरण स्वीकृत किया हैं जो काबिल निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्टस् को सुचना दिए व अपीलान्टस् को बिना सुने ही कथित नामान्तरण स्वीकृत करने में भारी भुल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरण स्वीकार करते समय न तो उपजिला कलेक्टर मावली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 161/2017 वाद व प्रार्थना पत्र 97/2017 के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.01.2023 के सम्बन्ध में कोई नोट ही [illegible] के कथित नामान्तरण स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:01 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि कथित नामान्तरण की जानकारी अपीलान्टस् को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के प्रकरण संख्या 6/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.07. 2023 की पालना कराने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 4689 खुलकर स्वीकृत हो चुका हैं तो अपीलान्टस् को कथित नामान्तरण की जानकारी हुई व अपीलान्टस् को जानकारी होते ही दिनांक 11.08.2023 को नकल प्राप्त की व नकल प्राप्त करते ही अपील के खर्चे की व्यवस्था कर कथित नामान्तरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही हैं जो जानकारी से अन्दर अवधि हैं फिर भी मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं।

6. अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नामान्तरण संख्या 4689 ग्राम मावली को निरस्त फरमाते हुए नामान्तरण की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का आदेश बक्षाया जावें।

7. प्रार्थना पत्र के साथ अपीलाण्टस द्वारा धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित नामान्तरण की जानकारी अपीलान्टस् को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के प्रकरण संख्या 6/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 की पालना कराने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 4689 खुलकर स्वीकृत हो चुका हैं तो अपीलान्टस् की जानकारी हुई व अपीलान्टस् को जानकारी होते ही दिनांक 11.08.2023 को नकल प्राप्त की व नकल प्राप्त करते ही अपील के खर्चे की व्यवस्था कर कथित नामान्तरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही हैं जो जानकारी से अन्दर अवधि हैं। नामान्तरण की जानकारी अपीलान्टस् को पूर्व में नहीं थी व जानकारी होते ही नामान्तरण की नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी राय लेकर कथित नामान्तरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की हैं जो जानकारी से अन्दर अवधि हैं। अपीलान्टस् ने अपील प्रस्तुत करने में जानबुझकर कोई देरी नहीं की अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाने का आदेश बक्षाया जावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की और से अधिवक्ता श्री मदनलाल नागदा द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:01 IST
Reason: SelfAttested

9. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत मावली द्वारा दौराने वाद विचाराधीन रहते हुएनामान्तकरण पारित किया गया है। जो पक्षकारो के मध्य घोषणा का वाद विचाराधीन हो वहां नामान्तरकरण नही खोला जा सकता है। घोषणा के वाद मे ही पक्षकारो के अधिकार तय किये जाते है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि पक्षकारो के मध्य केवल मात्र वाद विचाराधीन था। वक्त नामान्तरकरण न्यायालय का स्थगन नही था। स्थगन नही होने से अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरकरण पारित करने का पूर्ण अधिकार था। ग्राम पंचायत द्वारा केवल मात्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया जो विधि विरूद्ध नही है। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2006(1) पेज नम्बर 473, आरबीजे (13) 2006 पेज नम्बर 366, आरबीजे (5) 1998 पेज नम्बर 195, आरआरटी 2009 (2) पेज नम्बर 1337, आरआरडी 1994 पेज नम्बर 710, आरआरटी 2024(2) पेज नम्बर 1044, आरआरटी 2016 (2) पेज नम्बर 1139 एवं बालकिशन बनाम रतनलाल रिवजन नम्बर 41 निर्णय दिनांक 21.12.1984 प्रस्तुत किए गए।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 4689 दिनांक 20.02.2023 को ग्राम पंचायत मावली द्वारा पारित किया गया है। जहॉ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने के पूर्व न तो अपीलाण्ट्स को सुना गया है और न हीं सूचना दी गई है, न हीं अपीलान्ट को ज्ञान था। अपीलाण्ट्स का यह कथन माने जाने योग्य है। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाकर एवं देरी की अवधि को कन्डोन दिनांक 21.04.2025 को किया जा चुका हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत मावली द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 4689 दिनांक 20.02.2023 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया हैं। अपीलान्ट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली में प्रकरण संख्या 161/2017 वाद एवं प्रकरण संख्या 97/2017 प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने का कथन कर नामान्तरकरण ख[illegible] है जबकि अपीलान्ट्स द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं [illegible] प्रतीत होता हो कि जिन आराजीयात बाबत् नामान्तरकरण पारित किया गया है उन पर नामान्तरकरण के वक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:01 IST
Reason: SelfAttested

स्थगन हो या नामान्तरकरण की कार्यवाही पर किसी न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई हो। केवल मात्र न्यायालय में वाद दायर करने से नामान्तरकरण की प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता हैं। अपीलाण्ट्स स्वयं अपनी अपील में स्वीकार कर रहे है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली द्वारा 24.01.2023 को स्थगन पारित किया गया जिसे न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 07.02.2023 आदेश पारित करते हुए हटा दिया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में की गई, जहां दिनांक 25.07.2023 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली के आदेश दिनांक 07.02.2023 को निरस्त कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण में वर्णित आराजीयात पर दिनांक 07.02.2023 से दिनांक 25.07.2023 तक किसी प्रकार का स्थगन नही था। इस प्रकार नामान्तरकरण पारित करने की दिनांक 20.02.2023 को भी किसी प्रकार का स्थगन नही था।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्राम पंचायत मावली द्वारा विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया था। नामान्तरकरण में वर्णित आराजीयात पर वक्त नामान्तरकरण किसी प्रकार का कोई स्थगन नही था तथा ना ही नामान्तरकरण की कार्यवाही पर किसी प्रकार की रोक थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत मावली द्वारा विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण पारित कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत मावली द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 4689 दिनांक 20.02.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:01 IST
Reason: SelfAttested